पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कृषि विकास में योगदान

*डॉ. विनिषा सिंह

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि या कृषि से सम्बन्धित उद्योगों पर ही निर्भर करती है। कृषि हमारे देश में केवल जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग–धन्धा ही नहीं हैं, बल्कि यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है देश में उद्योग–धन्धे, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा अर्जन विभिन्न योजनाओं की सफलता एवं राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि पर ही निर्भर है।[1]

स्वाधीनता के पश्चात् भारत सरकार ने कृषि और कृषि के विकास को सबसे पहली प्राथमिकता समझी क्योंकि हमारे राजनीतिज्ञ एवं देश के कर्णधारों ने यह माना कि बिना कृषि एवं कृषक के विकास के भारत का विकास नहीं हो सकता है। अतः सरकार ने कृषि नीतियों एवं योजनओं के माध्यम से कृषि सम्बन्धित समस्त क्रियाओं को संतुलित बनाते हुए आधुनिकीरण करने का प्रयास किया है।[2]

भारतीय संघीय व्यवस्था की कार्य एवं शक्ति विभाजन सूची में कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है जो राज्य सूची में आता है अतः राजस्थान द्वारा कृषि सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करने हेतु 7 अप्रेल 1949 को ही कृषि विभाग की स्थापना कर दी गई थी। कुछ समय पश्चात् 15 सितम्बर 1949 को एक सरकारी आदेश द्वारा मान्यता प्रदान कर कृषि विभाग को एक महत्वपूर्ण विभाग मान लिया गया है।[3]

अध्ययन विधि तथा सूचना व आँकड़ों का स्त्रोत

उपरोक्त विषय को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने हेतु कृषि विभाग से प्रकाशित प्रगति प्रतिवेदन, कृषि नियमावली व द्धितीयक स्रोत के माध्यम से सहायता ली गई है साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों से अनौपचारिक साक्षात्कार के द्वारा भी जानकारी ली गई है।

कृषि विकास एवं कृषि प्रसारः

हमारे देश में नवीन तकनीकों की तो कमी नहीं है, परन्तु आज सबसे बढ़ी समस्या नवीन कृषि तकनीकी को किसानों तक प्रभावी ढ़ंग से हस्तान्तरित करने है। इसके बिना कृषि विकास सम्भव नही है देश में सतत् कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि प्रसार महत्वपूर्ण है।[4]

ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की भूमिकाः

राजस्थान में 1959 में बलवंत राय मेहता समीति की अनुशंसाओ को लागू करते समय प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में

निवास करने वाले वयस्क निवासियों को बैठक का प्रावधान किया गया था। वयस्क निवासियों की इसी बैठक को आगे चलकर ग्राम सभा कहा जाने लगा।[5]

ग्राम सभा का संगठनः

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया हैं। पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गाँव या गाँवों के समूह से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत समस्त व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते है। सम्बन्धित ग्राम पंचायत के समस्त पंच भी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच ही ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है और ग्राम पंचायत का सचिव ही ग्राम सभा को सचिव सम्बन्धी सहायता प्रदान करता है।[6] अतः ग्राम सभा एक ऐसी संस्था है जिसमें वयस्क मताधिकारी होते हैं। ग्राम सभा द्वारा कृषकों को कृषि प्रसार व कृषि योजनाओं से अवगत कराया जाता है।

ग्राम पंचायत

ग्रामीण पंचायतें पंचायती राज की आधारशिला है। जिस क्षेत्र के लिए ग्राम सभा एक प्रकार से व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती हैं उसी क्षेत्र के लिए ग्रम पंचायत एक कार्यपालिका संस्था है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित समिति या कार्यकारी संस्था है। 73वें संविधान संशोधन में 'पंचायत' शब्द का प्रयोग किया गया है।[7]

ग्राम पंचायत द्वारा कृषि विस्तार के कार्य किए जाते हैं। जिसमें कृषकों को कृषि तथा बागवानी प्रोन्नति और विकास, बंजर भूमियों का विकास, चारगाहों का विकास, और रख रखाव और संक्रमण से सम्बन्धित जानकारियों से अवगत कराया जाता है।[8]

संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची में वर्णित गतिविधियों का राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरण 21 अक्टूबर 2010 को कर दिया गया हैं। इस कड़ी में विभाग द्वारा पंचायत समितियों/ग्राम पंचायत स्तर पर हस्तान्तरित गतिविधियों के क्रियान्वयन में उनका योगदान, भूमिका तथा क्रियान्वयन में उनके दायित्वों का विवरण निम्नलिखित है।

ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि विभाग द्वारा हस्तान्तरित गतिविधियों में ग्राम पंचायत की भूमिका[9]:

- कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय पर स्थित ग्रम पंचायत के सरपंच से ही उपस्थिति अवकाश, भ्रमण कार्यक्रम व मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति लेते हैं तथा विकास अधिकारी को (तकनीकी प्रभावी–संबंधित सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से) प्रेषित करते हैं।
- कृषि पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में हस्तान्तरित गतिविधियों का क्रियान्वयन इस विभाग द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करते हैं।
- प्रत्येक सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक निर्धारित प्रारूप में देनन्दिनी का संधारण करते है।
- उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रमण के समय आवश्यक रूप से दैनन्दिनी में टिप्पणी अंकित की जाती है। टिप्पणी करते समय वर्तमान में फसल स्थिति, देखे गये कार्य (प्रदर्शन, मिनिकिट आदि) के सम्बन्ध में विवरण, दिये गये सुझाव व पूर्व में दिये गये सुझावों के क्रियान्वयन की स्थिति आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाता है।
- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अपने क्षेत्र की पंचायत समिति के विकास अधिकारी के माध्यम से सभी सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक से मासिक प्रगति निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करते है।

- सहायक निदेशक/उपनिदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा प्राप्त मासिक प्रगति की समीक्षा की जाकर, सम्बन्धित को आवश्यक होने पर सुधारात्मक सुझाव हेतु सूचित करते हैं तथा आगामी माह में उनकों दिये गये सुधारात्मक सुझाव पर की गई कार्यवाही की समीक्षा भी अवश्य करते है।
- विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा विभाग की गतिविधियों की जानकारी समय-समय पर पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित सहयोग की जानकारी भी विभागीय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा जनप्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए।
- कृषि के क्रियाकलाप मौसम आधारित है, कृषि की विभिन्न गतिविधियों का संचालन एवं क्रियान्वयन का सीधा संबंध मौसम से है। कृषि की सभी गतिविधियाँ समय पर मौसम के अनुरूप परिस्थितियों को देखते हुए क्रियान्वित किये जाने से ही उनका लाभ कृषकों को प्राप्त हो सकता है। अतः सभी जनप्रतिनिधि जो कि स्वयं एक कृषक भी है तथा उनके हितों को ध्यान में रखते हुये इन गतिविधियों को समय पर प्रभावी ढंग से तकनीकी दिशा निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करते है जिससे कि कृषकों व राज्य को केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विशिष्ट परियोजनायें स्वीकृत की जाती है अथवा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों ही स्तर से यह अपेक्षा रखी जाती है कि विशिष्ट परियोजनाओं को उनके विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये तकनीकी दिशा निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन करने में अपनी सहभागिता निभाये।
- कृषि विभाग को केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत राशि भारत सरकार से उपयोगिता के आधार पर किश्तों के रूप में प्राप्त होती है प्राप्त राशि का समय रहते उपयोग किया जाकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को नही भेजे जाने की दशा में भारत सरकार द्वारा आगामी किश्त जारी नहीं की जाती है। उपयोगिता प्रमाण पत्र विलम्ब से भिजवायें जाने पर भारत सरकार द्वारा आगामी किश्त की राशि में से कटौती की जाती है। अतः विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन समय रहते किया जाना अति आवश्यक है।

पंचायत समितिः

पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति एक अति महत्वपूर्ण संस्था है। पंचायत समितियों में कार्यपालिका अधिकार और कर्त्तव्य निहित हैं। प्रत्येक खण्ड स्तर पर एक पंचायत समिति का गठन किया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा योजनाएँ एवं कार्यक्रम पहले खण्ड स्तर पर क्रियान्वित किये जाते थे, उन्हें पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात समस्त राज्यों में पंचायत समिति के गठन और कार्यकरण आदि में समरूपता विकसित की गईं है।[10]

पंचायत समिति स्तर पर कृषि विभाग द्वारा हस्तान्तरित गतिविधियों में पंचायत समिति की भूमिका[11]

- जिले में कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक पंचायत समिति को हस्तान्तरित किये गये है।

  जयपुर व दौसा जिले में हस्तान्तरित सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षकों का पंचायत समितिवार विवरण निम्नलिखित है।

क्र. सं.	जिला	सहायक निदेशक कृषि (वि.) कार्यालय का नाम	पंचायत समिति	पंचायत समिति में सहायक कृषि अधिकारी के स्वीकृत पद	पंचायत समिति में कृषि पर्यवेक्षक के स्वीकृत पद
1.	जयपुर	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाड़ा	झोटवाड़ा गोविन्दगढ़ आमेर दूदू सांभर	1 3 3 4 3	7 17 16 20 17
			कुल योग	**14**	**77**
2.	दौसा	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा	दौसा लालसोट महवा सिकराय बांदीकूई	4 4 3 3 4	26 29 22 23 25
			कुल योग	**18**	**125**

- सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक पंचायत समिति के अधीन किए गए हैं जो विकास अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हुए अपने क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के तकनीकी पर्यवेक्षण में विभाग की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं तथा तकनीकी दिशा–निर्देश विभागीय अधिकारी द्वारा दिये जाते है।
- हस्तान्तरित स्टाफ का तकनीकी पर्यवेक्षण पूर्ववत विभाग द्वारा किया जाता रहेगा। विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन किया जाता है तथा पंचायत–समिति की बैठकों में अवगत कराया जाता है।
- कृषि पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में इस विभाग द्वारा निर्दिष्ट कर्त्तव्य व दायित्व सुनिश्चित करते हैं। कृषि पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य कृषि विस्तार से सम्बन्धित है। कृषि पर्यवेक्षक नवीन कृषि ज्ञान को किसानों तक पहुँचाने का कार्य करते है।
- तकनीकी गतिविधियों/क्रियाकलापों में आवश्यकता होने पर आयुक्तालय, कृषि द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से संशोधन/विलोपन किया जाता है।
- अधिकांश कृषि पर्यवेक्षकों के अधीन एक से अधिक ग्राम पंचायतें है। कृषि पर्यवेक्षक द्वारा मुख्यालय पर स्थित ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायतों के लिये सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) द्वारा निर्धारित दिवस/वार व समय पर भ्रमण सुनिश्चित किये गये है। सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) द्वारा सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को दिये जाने वाले निर्देश विकास अधिकारी पंचायत समिति के मार्फत दिये गए है।

- कृषि पर्यवेक्षक निर्धारित दिवस व समय पर अपने क्षेत्र में भ्रमण सुनिश्चित करते हैं उनके भ्रमण की जानकारी उनके मुख्यालय के बाहर अवस्थित बोर्ड पर उपलब्ध करायी जाती है।
- पंचायत समिति मुख्यालय स्थित सहायक कृषि अधिकारी अपने क्षेत्र के कार्यों के साथ–साथ पंचायत समिति स्तर पर संपूर्ण पंचायत समिति के लिए समन्वयक का कार्य भी करते है।
- सहायक कृषि अधिकारी को अपनी उपस्थिति, अवकाश, दौरे एवं मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति विकास अधिकारी के माध्यम से सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) से लेनी होती है।
- पंचायत समिति को हस्तान्तरित गतिविधियों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, समीक्षा, वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जिम्मेदारी होती है। सहायकत कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक के स्थानान्तरण तथा 17 सी.सी.ए की कार्यवाही का अधिकार पंचायत समिति के स्थायी समिति को होता है।
- वर्ष के लिये अनुमोदित कृषि योजना की जानकारी पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जाती है तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व विकास अधिकारी, पंचायत समिति को होता है।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा सहायक कृषि अधिकारियें व कृषि पर्यवेक्षको की मासिक बैठक आयोजित कर अनुमोदित कार्य योजना की प्रगति की जानकारी लेता है।
- विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक के कार्यो की समीक्षा के दौरान पाई जाने वाली विसंगतियों को अपने सुझावों सहित जिला परिषद को प्रेषित करते है।
- पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों, समितियों की बैठकों, साधारण सभा में विभाग का प्रतिनिधित्व सहायक निर्देशक/कृषि अधिकारी या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से भाग लिया जाता है जिसमें विभागीय गतिविधियों/योजनाओं की जानकारी दी जाती है।
- विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान/वितरण कार्यक्रमों के लिये आवश्यक आदानों की किस्म, गुणवत्ता स्तर, अधिकतम दर,, मात्रा व देय अनुदान आदि का निर्धारण विभागीय स्तर पर किया जाता है।
- अनुदान कार्यक्रमों हेतु उत्पादकों की आपूर्ति हेतु कृषि–आदान/निर्माताओं–उत्पादकों का पंजीयन विभाग में ही किया जाता है।
- जिन कृषि आदानों की दरों का अनुमोदन कृषि आयुक्तालय स्तर से हो चुका है वह आदान उन्हीं दरों पर कृषकों को उपलब्ध करवाये जाते है। जिन कृषि आदानों की दरें आयुक्तालय द्वारा निर्धारित नहीं है उन आदानों की मांग जिले में होने की दशा में संकलित मांग व बाजार में प्रचलित दरों सहित प्रस्ताव कृषि आयुक्तालय को प्रेषित किये जाते हैं।
- अनुदानों पर वितरित होने वाले कृषि आदानों के अमानक पायें जाने पर कोई अनुदान देय नहीं होता है।
- विभाग द्वार क्रियान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों के लिये ग्राम पंचायत स्तर से तैयार किये गये प्रस्ताव पंचायत समिति के माध्यम से सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/उपनिदेशक कृषि (जिला परिषद्) को (आहरण एवं वितरण अधिकारी) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते है।
- विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं के तहत दिये जाने वाले अनुदान व अन्य कार्यों का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पास होने के कारण सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/उपनिदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद द्वारा किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित गतिविधियों के क्रियान्वयन में विभागीय दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं–[12]

(1) प्रशिक्षण एवं भ्रमणः

- कृषकों को विभागीय तकनीकी/योजनाओं की जानकारी देने, क्षमता विकास तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषक प्रशिक्षण आयोजित किऐ जाते हैं। प्रशिक्षणों हेतु प्रगतिशील कृषकों का चयन विभागीय दिशा निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्थायी समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। स्थायी समिति की बैठक आयोजन नहीं होने की दशा में कृषि पर्यवेक्षक द्वारा चयन किया जाना चाहिए जिसका बाद में स्थाई समिति से अनुमोदन करवाया जाना चाहिए। कृषकों के चयन तथा प्रशिक्षण आयोजन के समय तकनीकी मापदण्ड तथा भौतिक लक्ष्यों व वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रशिक्षण हेतु निर्धारित बजट प्रावधानों से अधिक राशि किसी भी स्थिति में व्यय नहीं की जानी चाहिए। प्रशिक्षण समाप्ति के तुरन्त पश्चात् वांछित बिल व सूचनाऐं सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को भिजवाई जानी चाहिएं अ.जा./अ.ज.जा. लघु सीमान्त कृषकों एवं महिला कृषकों का दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित अनुपात में प्रतिनिधित्व रखा जाना चाहिए। प्रशिक्षण हेतु निर्धारित बजट प्रावधानों से अधिक राशि किसी भी स्थिति में व्यय नहीं की जानी चाहिए। प्रशिक्षण समाप्ति के तुरन्त पश्चात् वांछित बिल व सूचनाऐं सम्बन्धित सहायक निर्देशक कृषि (विस्तार) को भिजवाई जानी चाहिए। अ. जा/अ.ज.जा. लघु सीमान्त कृषकों एवं महिला कृषकों का दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित अनुपात में प्रतिनिधित्व रखा जाना चाहिए।
- कृषि की आधुनिक तकनीकी से अवगत कराने तथा उनके ज्ञानार्जजन हेतु अन्तः जिला, अन्तर जिला एवं अन्तर्राज्यीय भ्रमण कर कृषकों को भिजवाया जाता है ताकि कृषक ऐसी गतिविधियों को भ्रमण पर जाकर वहाँ स्वयं देखने व सीखने के उपरान्त अपने खेतों पर अपनाकर अधिक उत्पादन/आय प्राप्त कर सके इसके लिए कृषकों का चयन कृषि पर्यवेक्षक की मदद से ग्राम पंचायत स्तरीय समिति द्वारा कराया जाना चाहिए। भ्रमण पर भेजने हेतु चयनित कृषक, जिज्ञासु, पढ़े–लिखे, प्रगतिशील, वयस्क तथा नवीन उन्नत गतिविधियों का अनुसरण करने में अग्रणी होना चाहिए। ऐसे कृषक जिनको पूर्व में भ्रमण पर भिजवाया जा चुका है उन्हें पुनः भ्रमण पर नही भिजवाया जाना चाहिए।

(2) मासिक कलस्टर बैठकः

प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार एवं द्वितीय सोमवार को मासिक कलस्टर बैठक का आयोजन किया जाता हैं जिसमें सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), क्षेत्र के सभी सहायक कृषि अधिकारी तथा कृषि पर्यवेक्षक भाग लेते हैं। इन बैठकों में आगमी माह में सम्पादित किये जाने वाले विभागीय एवं तकनीक कार्यों की जानकारी कृषि अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा दी जाती हैं, फसलों की स्थिति, उत्पादन एवं उत्पादकता का आंकलन, कीट–व्याधि प्रकोप की चर्चा एवं नियंत्रण के उपाय तथा आवश्यक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जाती है। विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा तथा विशेष परियोजना के निर्माण पर भी विस्तृत विचार–विमर्श किया जाता है। यह बैठक प्रत्येक माह में एक ही दिन आयोजित की जाती है। जो अति महत्वपूर्ण हैं तथा इसमें कृषि पर्यवेक्षकों/सहायक कृषि अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाना बहुत ही आवश्यक होता है।

सामान्य कार्य जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाना है।[13]

- कृषि विस्तार की सम्पूर्ण गतिविधियों का व्यापक प्रचार–प्रसार क्षेत्र में हो

- विभागीय गतिविधियों का क्रियान्वयन विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्ड़ों एवं दिशा–निर्देशानुसार ही किया जावे।
- स्वीकृत वार्षिक योजना के भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं के लिये कृषकों का चयन विभागीय मापदण्डों एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवश्यक है।
- कृषकों के चयन में महिला कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त कृषकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये (अनुः सूचित जाति 17.16 प्रतिशत अनु. जनजाति 12.56 प्रतिशत, महिला कृषकों 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रखा जाये।)
- ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जावे जिन्हें पूर्व में विभागीय योजना में लाभान्वित नहीं किया गया हो।
- कृषि क्रियायें समय पर किये जाने से ही वास्तविक लाभ मिल सकता है। अतः सम्पूर्ण क्षेत्र में कृषि विभागीय गतिविधियों का क्रियान्वयन समय पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- क्षेत्र के आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना तैयार कर जिला परिषद कार्यालय को माह सितम्बर तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावे।
- वार्षिक योजना बनाते समय क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन, आवश्यकता तथा प्रति ईकाई उत्पादकता में वांछित बढ़ोतरी हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखा जाये।
- वार्षिक योजना क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनायी जाये।
- निर्धारित मानदण्डों/दिशा निर्देशों के अनुरूप भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भिजवायें ताकि आगामी किश्त की राशि उपलब्ध करायी जा सके।
- कृषि गतिविधियों के क्रियान्वयन के तुरन्त बाद प्रगति तथा वांछित अन्य दस्तावेज (जैसे बिल, उपयोगिता प्रमाण–पत्र आदि) विकास अधिकारी के माध्यम से सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) को भिजवाये जावें। प्रस्तुत किये जाने वाली प्रगति व दस्तावेज सम्बन्धित ग्रम पंचायत के सरपंच से अधिप्रमाणित हो।
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभाग को भिजवाई जाने वाली प्रगति निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आयुक्तालय को भिजवाई जाये।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बातें[14]

- विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से कृषि विभाग का कार्य ही करवाया जाये।
- विभागीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में तकनीकी मापदण्डों में परिवर्तन नहीं किया जावे।
- कृषक चयन में प्राथमिकता को नहीं तोड़ा जाये, यदि प्राथमिकता के क्रम में कोई कृषक उपलब्ध नहीं हो तो यह तथ्य स्थाई समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण में दर्ज हो।
- शत्–प्रतिशत किसानों की मिट्टी की जाँच करवाई जाये।
- खेतों में आग नही लगाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाये।
- संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाये।
- गोबर की खाद गढ्ढों में बनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित–किया जाये।

- वर्षा जल संरक्षण एवं जल का कुशलतम उपयोग आवश्यक रूप से कराया जाये।
- जैविक खेती को बढावा दिया जाये।
- भूमि सुधार कार्य वृहद् स्तर पर लिया जाये।
- उन्नत बीज की दृष्टि से गांव के कृषकों को स्वावलम्बी बनाने हेतु अधिक से अधिक क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्य किया जाये।

कृषकों को देय सुविधाएं[15]

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के माध्यम से राज्य के किसानों को कृषि एवं सम्बंद्ध क्षेत्रों में विकास के लिए सुविधायें एवं सहायता प्रदान की जा रही हैं कृषि विभाग द्वारा कृषकों को देय इन सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार हैं–

(1) कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा)

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

(3) सिंचाई जल प्रबंधन गतिविधियों के अन्तर्गत अनुदान

(4) क्षारीय भूमि सुधार, तिलहनी, दलहनी, एवं गेहूँ की फसलों में जिप्सम उपयोग

(5) किसानों की ज्ञान वृद्धि के लिए प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम

(6) मौसम आधारित फसल बीमा योजना

(7) राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(8) खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ एवं दलहन योजना अन्तर्गत

(9) फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित समान्वित कीट प्रबंधन प्रशिक्षण

(10) आइसोपोन/कार्य योजनान्तर्गत फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित प्रदर्शन

(11) पौध संरक्षण यंत्रों/रसायानों का वितरण

(12) फसल प्रदर्शन

(13) मिनिकिट

(14) कृषि यंत्र

(15) जल संरक्षण व कुशलतम प्रयोग

    (a) सिंचाई पाईप लाइन कार्यक्रम

    (b) डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम

    (c) जल हौंज कार्यक्रम

    (d) फार्म पौण्ड कार्यक्रम

(16) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत दलहनी एवं तिलहनों फसलों के उत्पादन वृद्धि हेतु वर्षा आधारित क्षेत्रों में ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम

(17) भूमि सुधार तथा तिलहनी, दलहनी एवं गेहूँ की फसलों में जिप्सम प्रयोग
(18) कृषि आदानों का वितरण
(19) बीज उत्पादन तथा व्यवस्था
(20) कृषि अभियान
(21) कृषि सूचना
(22) महिला सशक्तिकरण
(23) अनुदान हेतु लक्ष्यों का निर्धारण
(24) फसल कटाई प्रयोग।

***व्याख्यता**
लोक प्रशासन विभाग
संस्कार भारती पी.जी. कॉलेज, बगरू (राज.)

सन्दर्भ सूची

1. आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार, 2007–08 पृ. 43–45
2. एस.एल.इन्टोदिया, के.एल. डांगी एवं राजीव बैरागी, प्रसार शिक्षा एवं संचार माध्यम, आमुख, अल्का पब्लिकेशन्स, अजमेर, 2001
3. चन्द्रमौलि सिंह, अशोक शर्मा, एवं सुरेश गोयल, राजस्थान में राज्य प्रशासन, इण्डियन सोसायटी फॉर पब्लिक अफेयर्स, 1985 पृ. 269
4. एस.एल.इन्टोदिया, के.एल. डांगी एवं राजीव बैरागी, प्रसार शिक्षा एवं संचार माध्यम, आमुख, अल्का पब्लिकेशन्स, अजमेर, 2001
5. रविन्द्र शर्मा, भारत में स्थानीय प्रशासन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2010, पृ. 66, 67
6. उपरोक्त, पृ. 66, 67
7. उपरोक्त, पृ. 77
8. उपरोक्त, पृ. 90
9. कृषि विभाग की वेबसाइट www.rajasthankrishi.gov.in में प्राप्त जानकारी।
10. रविन्द्र शर्मा, भारत में स्थानीय प्रशासन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2010, पृ. 95
11. कृषि विभाग की वेबसाइट www.rajasthankrishi.gov.in में प्राप्त जानकारी।
12. कृषि विभाग की वेबसाइट www.rajasthankrishi.gov.in में प्राप्त जानकारी।
13. कृषि विभाग की वेबसाइट www.rajasthankrishi.gov.in में प्राप्त जानकारी।
14. कृषि विभाग की वेबसाइट www.rajasthankrishi.gov.in में प्राप्त जानकारी।
15. कृषि विभाग की वेबसाइट www.rajasthankrishi.gov.in में प्राप्त जानकारी।